

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी:- अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:- 02/2024 अपील राजस्व

जीसीएमएस नंबर:- 2024/2

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सनवाड, तहसील मावली जिला उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. पटवारी हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर
2. नरेश पिता श्री गणेश जाट निवासी- ग्राम सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर
3. पुरणमल पिता बाबुलाल खटीक निवासी- ग्राम सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर
4. राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड जरिये सचिव धाभाई जी की हवेली, सिरह डयोडी बाजार, जयपुर राजस्थान
5. सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर
6. महेश पुत्र भेरूलाल मेघवाल निवासी गन्दोली तहसील घासा, उदयपुर
7. अशोक पुत्र रामलाल डांगी निवासी गन्दोली तहसील घासा, उदयपुर
8. हिमांशु चंदेल पुत्र मुकेश चंदेल निवासी डेलाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

.....विपक्षीगण

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 6545 उपतहसीलदार सनवाड द्वारा भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्र दिनांकित 31.10.2023 की पालना में खोलकर दर्ज किया गया, को निरस्त किये

जाने बाबत

- उपस्थित :
1. श्री कल्पित जैन परोकार सरकार
 2. श्री हर्षद जोशी अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 2 एवं 3
 3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 6 से 8

निर्णय

दिनांक:- 30/7/24

प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सनवाड में खाता संख्या 1504 के खसरा संख्या 3114 क्षेत्रफल 0.6961 हे. भूमि अवस्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 1544 की भूमि आराजी संख्या 3095 क्षेत्रफल 0.3076 हे. भूमि तथा आराजी संख्या 3096 क्षेत्रफल 0.1457 हे. भूमि अवस्थित है जिसका हिस्सा राजस्व अभिलेखों में भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा था। उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 4 के यहां आवेदन किया एवं उक्त भूमि को दिनांक 04.10.2023 को विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम



M
जिला कलक्टर
उदयपुर

नामान्तरकरण खोलने का एक पत्र विपक्षी संख्या 4 के यहां से प्रार्थी को प्राप्त हुआ जिसमें विपक्षी संख्या 4 द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण विपक्षीगण के नाम खोलने का आदेश प्रेषित किया जिस पर प्रार्थी के द्वारा जरिए पत्र क्रमांक भूदान/28/231 दिनांक 17.10.2023 के विपक्षी संख्या 04 को पत्र भेजकर नगरीय क्षेत्र होने के चलते विभिन्न अधिसूचनाओं के आलोक में दिशा निर्देश मांगे गए। विपक्षी संख्या 04 के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 31.10.2023 को नियमानुसार अधिसूचनाओं एवं परिपत्र दिनांक 15.03.2010 के अलोक में नियमानुसार कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए जिस पर प्रकरण में नियमानुसार आवंटन नहीं होने के चलते प्रार्थी द्वारा नामान्तरण की अग्रिम प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई।

प्रार्थी के पद पर कार्यरत अधिकारी दिनांक 04.12.2023 एवं दिनांक 05.12.2023 को आकस्मिक अवकाश जाने के दौरान उनके समकक्ष अधिकारी तत्कालीन नायब तहसीलदार मावली को उनका कार्यभार सौंपा गया इसी दरमियान विपक्षी संख्या 01 पटवारी हल्का के द्वारा आलोच्य नामान्तरण भरकर दिनांक 04.12.2023 को प्रस्तुत किया जिस पर उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो कि नियम एवं विधिविरुद्ध होने एवं इन भूमियों के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका क्रमांक 1096/2011 लम्बित होने एवं उसमें प्रार्थी पक्षकार होने से पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.01.2024 को इस सम्बन्ध में पुनरावलोकन हेतु रिपोर्ट पेश होने एवं पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.02.2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय मावली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय मावली के निर्देशानुसार निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है:

आलोच्य नामान्तरण आवश्यक सूचनाओं महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर खोला गया है। विपक्षी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी के पद के नियमित प्राधिकारी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी को मुगालते में रखकर उक्त आदेश पारित कराया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा तो पूर्व में ही नियमानुसार नहीं होने के कारण नामान्तरण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया था तथा उक्त नामान्तरण आदेश विधि एवं प्रक्रिया का सारभूत लोप होकर धारण योग्य नहीं है। प्रकरण में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई बल्कि सीधे ही विपक्षी संख्या 04 के आदेश दिनांकित 04.10.2023 व आदेश दिनांकित 31.10.2023 को गलत निर्वचित कर नामान्तरकरण खोलने की अनुशंसा कर दी गई, विपक्षी संख्या 04 के आदेश दिनांकित 31.10.2023 में नियमानुसार अधिसूचनाओं एवं परिपत्र दिनांक 15.03.2010 के आलोक में कार्यवाही करने के निर्देश थे जिनके अनुसार शहरी क्षेत्र में भूदान की भूमियों राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) संशोधित नियम 1970 के अनुरूप एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक-9 (15)राज-6/2005/पार्ट/43 दिनांक 29.08.2007 के अनुरूप ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना था जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई पालना नहीं की गई। उक्त नामान्तरण में वर्णित भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित होकर महत्वपूर्ण भूमि है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.12.2015 के तहत राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग कर दिया गया था एवं राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड अधिनियम 1054 की धारा 24 एवं 25 में अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 के द्वारा संशोधन कर भूदान के तहत किए जाने वाले आवंटन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जा चुका है बावजूद इसके हस्तगत प्रकरण में कथित आवंटन के आधार पर नामान्तरण खोला जाना किसी प्रकार से विधि अनुरूप नहीं है। नामान्तरण के लिए आदेश सीधे ही तहसीलदार को अथवा उपतहसीलदार को प्रेषित कर निर्देशित कर दिया गया जबकि विधि अनुसार यह भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड के निर्देशानुसार खोलने के लिए जरिये जिला कलक्टर महोदय से



सम्यक जांच होने के उपरान्त ही नियमानुसार कोई नामान्तरण आदेश दिया जा सकता था लेकिन सीधे ही तहसीलदार अथवा उपतहसीलदार को निर्देशित करते हुए पत्र भेजा गया एवं नामान्तरण खोला गया यह विधिसम्मत नहीं है। विपक्षी संख्या 2 व 3 ने जो आवेदन विपक्षी संख्या 04 के यहां प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने मिथ्या तथ्यों का अंकन किया है। विपक्षीगण ने इस भूमि को विवाद विहिन बताया है एवं इस आधार पर अण्डर टेकिंग व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण खोला गया, प्रक्रिया तो यह निर्देशित की जानी चाहिए थी कि विपक्षी संख्या 02 व 03 के सम्बन्ध में नियमित प्रकरण कायम कर इनमें इस भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेज, अण्डरटेकिंग, शपथ पत्र लेकर ही उक्त नामान्तरकरण पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त खोला जाता लेकिन सीधे ही बोर्ड के आदेश को बिना किसी सम्यक जांच के पालना करते हुए नामान्तरकरण खोल दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। जब तक प्रकरण लम्बित है तब तक इस प्रकार का नामान्तरकरण करने के लिए निर्देशित करने का भूदान यज्ञ बोर्ड को अधिकार नहीं था लेकिन उनके निर्देश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में हुई त्रुटि से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विलेख प्रार्थी के यहां संधारित था लेकिन कार्यभार वाले अधिकारी ने उसे नहीं देखा व आनन फानन में नामान्तरकरण कर दिया लेकिन इस सम्बन्ध में जैसे ही समाचार पत्रों में आलेख प्रकाशन हुए अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों ने कार्यवाही हेतु निर्देश दिए इस पर प्रार्थी ने अधीनस्थ कार्मिकों से जानकारी ली तब तक उक्त नामान्तरकरण लॉक हो चुका था तथा इस सम्बन्ध में पुनरावलोकन करने में विधि अनुसार प्रार्थी असमर्थ होने के कारण उसके समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर देने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 6545 जो भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्र दिनांकित 31.10.2023 की पालना में खोलकर दर्ज किया गया, को निरस्त कराया जावे एवं उक्त नामान्तरकरण को अपास्त फरमाया जावे एवं यदि कोई कार्यवाही इस नामान्तरकरण के अग्रेषण में की गई हो तो उसे भी शून्य व निरस्त घोषित फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सनवाड में खाता संख्या 1504 के खसरा संख्या 3114 क्षेत्रफल 0.6961 हे. भूमि अवस्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 1544 की भूमि आराजी संख्या 3095 क्षेत्रफल 0.3076 हे. भूमि तथा आराजी संख्या 3096 क्षेत्रफल 0.1457 हे. भूमि अवस्थित है जिसका हिस्सा राजस्व अभिलेखों में भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा था। उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 4 के यहां आवेदन किया एवं उक्त भूमि को दिनांक 04.10.2023 को विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तरकरण खोलने का एक पत्र विपक्षी संख्या 4 के यहां से प्रार्थी को प्राप्त हुआ जिसमें विपक्षी संख्या 4 द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण विपक्षीगण के नाम खोलने का आदेश प्रेषित किया जिस पर प्रार्थी के द्वारा जरिए पत्र क्रमांक भूदान/28/231 दिनांक 17.10.2023 के विपक्षी संख्या 04 को पत्र भेजकर नगरीय क्षेत्र होने के चलते विभिन्न अधिसूचनाओं के आलोक में दिशा निर्देश मांगे गए। विपक्षी संख्या 04 के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 31.10.2023 को नियमानुसार अधिसूचनाओं एवं परिपत्र दिनांक 15.03.2010 के अलोक में नियमानुसार कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए जिस पर प्रकरण में



M
 जिला कलक्टर
 उदयपुर

नियमानुसार आवंटन नहीं होने के चलते प्रार्थी द्वारा नामान्तरण की अग्रिम प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई।

विपक्षी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी के पद के नियमित प्राधिकारी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी को मुगालते में रखकर उक्त आदेश पारित कराया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा तो पूर्व में ही नियमानुसार नहीं होने के कारण नामान्तरण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया था। विहित प्रक्रिया के अनुसरण में नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई बल्कि सीधे ही विपक्षी संख्या 04 के आदेश दिनांकित 04.10.2023 व आदेश दिनांकित 31.10.2023 को गलत निर्वचित कर नामान्तरकरण खोलने की अनुशंसा कर दी गई, विपक्षी संख्या 04 के आदेश दिनांकित 31.10.2023 में नियमानुसार अधिसूचनाओं एवं परिपत्र दिनांक 15.03.2010 के आलोक में कार्यवाही करने के निर्देश थे जिनके अनुसार शहरी क्षेत्र में भूदान की भूमियों राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) संशोधित नियम 1970 के अनुरूप एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक-9 (15)राज-6/2005/पार्ट/43 दिनांक 29.08.2007 के अनुरूप ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना था। राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.12.2015 के तहत राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग कर दिया गया था एवं राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड अधिनियम 1054 की धारा 24 एवं 25 में अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 के द्वारा संशोधन कर भूदान के तहत किए जाने वाले आवंटन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जा चुका है बावजूद इसके हस्तगत प्रकरण में कथित आवंटन के आधार पर नामान्तरण खोला गया है जो विधि अनुरूप नहीं है। नामान्तरण के लिए आदेश सीधे ही तहसीलदार को अथवा उपतहसीलदार को प्रेषित कर निर्देशित कर दिया गया जबकि विधि अनुसार यह भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड के निर्देशानुसार खोलने के लिए जरिये जिला कलक्टर महोदय से सम्यक जांच होने के उपरान्त ही नियमानुसार कोई नामान्तरण आदेश दिया जा सकता था लेकिन सीधे ही तहसीलदार अथवा उपतहसीलदार को निर्देशित करते हुए पत्र भेजा गया। विपक्षी संख्या 2 व 3 ने जो आवेदन विपक्षी संख्या 04 के यहां प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने मिथ्या तथ्यों का अंकन किया है। भूदान बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु आवंटन किया जाता है। आवंटन द्वारा कृषि कार्य हेतु आवंटन कराकर विक्रय की गई है। विपक्षीगण ने इस भूमि को विवाद विहिन बताया है जबकि पूर्व से विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। रिट के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में हुई त्रुटि से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विलेख प्रार्थी के यहां संधारित था लेकिन कार्यभार वाले अधिकारी ने उसे नहीं देखा व आनन फानन में नामान्तरण कर दिया लेकिन इस सम्बन्ध में जैसे ही समाचार पत्रों में आलेख प्रकाशन हुए अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों ने कार्यवाही हेतु निर्देश दिए इस पर प्रार्थी ने अधीनस्थ कार्मिकों से जानकारी ली तब तक उक्त नामान्तरकरण लॉक हो चुका था तथा इस सम्बन्ध में पुनरावलोकन करने में विधि अनुसार प्रार्थी असमर्थ होने के कारण उसके समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर देने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 6545 जो भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्र दिनांकित 31.10.2023 की पालना में खोलकर दर्ज किया गया, को निरस्त कराया जावे एवं उक्त नामान्तरकरण को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपील करने का अधिकार प्रभावित व्यक्ति को है, हस्तगत प्रकरण में उपतहसीलदार सनवाड किस तरह प्रभावित है। धारा 82 के अनुसार यदि कोई



M
जिला कलक्टर
उदयपुर

अनियमितता हुई है तो reference दर्ज किया जाना चाहिए था। भूमि अविवादित होकर भूदान बोर्ड की है इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। धारा 23 अनुसार भूदान बोर्ड के पास अधिकार है। यह आवंटन नहीं होकर वितरण है। भूदान बोर्ड दिनांक 01.12.2015 को भंग हुआ था किन्तु वर्ष 2022 में पुनर्गठन हो चुका है। दिनांक 04.10.2023 को भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा तहसीलदार को पत्र लिखा गया। तहसीलदार द्वारा 17.10.2023 को मार्गदर्शन हेतु भूदान यज्ञ बोर्ड को पत्र लिखा गया। भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 31.10.2023 को नामान्तरण खोलने हेतु निर्देशित किया गया। सरकार द्वारा भूदान बोर्ड को जमीन नहीं दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रिट प्रकरण संख्या S.B. Civil writ petition no. 1096/2011 दिनांक 20.05.2024 को withdrawl की गई है। अनियमितता के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण reference दर्ज होना चाहिए था ना कि अपील।

रेस्पोंडेंट संख्या 5 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अनुसार नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 6545 खारिज योग्य है। मौजा सनवाड़ की विवादित आराजी संख्या 2323/2ज रकबा 3 बीघा हाल आराजी संख्या 3114 रकबा 4.06 बीघा सर्वप्रथम श्री सरू दरोगा पिता मोती दरोगा को आवंटित की गई एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का आवंटन श्री नारायणलाल पिता चतरभूज को किया गया। श्री नारायणलाल को आवंटित की गई भूमि का आदेश भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 1176 दिनांक 17.12.2007 को निरस्त कर दिया गया। जिसका नामान्तरकरण दिनांक 18.08.2009 को भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम से दर्ज कर दिया गया। भूदान यज्ञ बोर्ड के द्वारा श्री नारायणलाल का आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका संख्या 1096/2011 दायर की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। उपतहसील सनवाड़ के रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्रांक भूदान/2023-24/8 दिनांक 04.10.2023 से उप तहसीलदार सनवाड़ को संबोधित कर विवादित भूमि का नामान्तरकरण वितरण सूची में दर्ज व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में उप तहसीलदार सनवाड़ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 231 दिनांक 17.10.2023 से भूदान यज्ञ बोर्ड को सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड़ नगरपालिका क्षेत्र के भूदान होल्डरो के नामान्तरकरण दर्ज करने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया। जिनके क्रम में भूदान यज्ञ बोर्ड के द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 29 दिनांक 31.10.2023 से उप तहसीलदार सनवाड़ को नियमानुसार खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में पटवारी हल्का सनवाड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 6545 दायर किया गया जिसकी जांच भू-अभिलेख सनवाड़ के द्वारा की गई। तत्कालीन नायब तहसीलदार सनवाड़ द्वारा नामान्तरकरण को निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों को छिपाया गया, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की अनदेखी की गई, भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्र के संदर्भ में जिला कलक्टर महोदय से कोई भी मार्गदर्शन नहीं मांगा गया। उक्त कारणों से ग्राम सनवाड़ का नामान्तरकरण संख्या 6545 में राज्य सरकार एवं भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा समय-समय पर उल्लेखित विभिन्न परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं प्रचलित नियमों से स्पष्ट है कि भूमि आवंटन एवं भूमि नामान्तरकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे नामान्तरकरण संख्या 6545 खारिज योग्य है। भूदान यज्ञ




 जिला कलक्टर
 उदयपुर

बोर्ड के द्वारा किया गया आवंटन नगरीय क्षेत्र में होने से राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित भूदान होल्डर से खातेदारी देने के नियमों की भी पालना नहीं की गई। पूर्व में भी फतहनगर सनवाड़ नगरीय क्षेत्र में स्थित भूदान होल्डरों को खातेदारी अधिकार निर्धारित प्रक्रिया अपना कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के द्वारा प्रदान किये गये हैं जिस कारण भी नामांतरकरण संख्या 6545 खारिज योग्य है। भूदान यज्ञ बोर्ड के द्वारा सीधे ही उप तहसीलदार सनवाड़ के साथ पत्र व्यवहार करना प्रचलित नियमों के विरुद्ध है जबकि भूदान यज्ञ बोर्ड को किसी भी तरह का पत्र व्यवहार जिला कलक्टर के मार्फत किया जाना चाहिए था। उक्त आवंटन एवं नामांतरकरण विधि विरुद्ध एवं प्रचलित सिद्धान्तों के विपरित होने से नामांतरकरण संख्या 6545 खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेंट संख्या 6 से 8 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में अपील उपतहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस पीठासीन अधिकारी ने नामान्तरकरण खोला वे ही अपील दायर कर रहे हैं। अपील प्रभावित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है तो प्रकरण में पीठासीन अधिकारी प्रभावित पक्षकार कैसे हैं? निजी व्यक्तियों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि भूदान बोर्ड में दान की जाती है इस आधार पर उक्त भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि हैं। बिलानाम/सरकारी भूमि नहीं है। भूदान बोर्ड भूमि का खातेदार होने से भूदान बोर्ड द्वारा भूमि वितरण की गई है। किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं थी। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2010 अनुसार तहसीलदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के अधिकार हैं। भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा समिति सदस्यों की अनुशंशा के आधार पर कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया है। पारित नामान्तरण को निरस्त करने का आधार नहीं है।

—:निष्कर्ष:—

उभयपक्ष की बहस सुनी व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, समय-समय पर जारी परिपत्रों और इसी प्रकरण में राज्य सरकार के निर्देश के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सभी विधिक बिन्दुओं और प्रचलित नियमों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कारणों से नामांतरकरण को निरस्त किया जाता है:-

1. अप्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि उपतहसीलदार को अपील दायर करने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा केवल मात्र कथन किया गया है परन्तु कोई भी विधिक दस्तावेज या न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त अपील किस प्रकार से विधि द्वारा वर्जित है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अनुसार भी रिव्यू का अधिकार तहसीलदार/उपतहसीलदार का है। कोई भी त्रुटि सामने आने पर यह तहसीलदार/उपतहसीलदार का कर्तव्य है कि वो उक्त त्रुटि में सुधार करें। स्पष्ट है कि विधिक रूप से कोई त्रुटि हो तो सुधारा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार/उपतहसीलदार ने उक्त अपील भूमिधारक (land holder) की हैसियत से की है। यह तहसीलदार/उपतहसीलदार का कर्तव्य है कि राज्यहित एवं जनहित की भूमियों का संरक्षण करें। इस न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रकरणों का निस्तारण 'Mechanical way' and hyper technical तरीके से ना करके गुणावगुण के आधार पर न्याय करें। वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी बताने में असमर्थ रहा है कि धारा 75 के किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। अतः विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है एवं तहसीलदार को सरकारी भूमियों,



H
 जिला कलक्टर
 उदयपुर

जहां पर राज्यहित एवं व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा हो, में अपील करने का पूर्ण अधिकार है।

2. उक्त भूमि 29.09.2023 को भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटन जारी किया गया। उक्त प्रकरण में भूदान यज्ञ की भूमियों के लिए खातेदारी दिये जाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अवैध व अनाधिकृत तरीके से 04.12.2023 को अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नामांतरकरण सीधा खातेदार के रूप में खोल दिया गया। खातेदारी दिये जाने की विधिवत प्रक्रिया के संबंध में जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 01.01.2008, 28.02.2009, 13.08.2009 एवं 03.09.2009 को राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था, उक्त मार्गदर्शन अनुसार सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.03.2010 द्वारा कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(12)राज-6/92/पार्ट/1 जयपुर दिनांक 15.03.2010 अनुसार:

परिपत्र

"जिला कलक्टरों द्वारा इस विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(12)राज-6/92/पार्ट/4 दिनांक 26.03.2009 के परिपेक्ष्य में नगरीय सीमा या पेराफेरी बेल्ट में स्थित भूदान की भूमियों पर खातेदार अधिकार किस प्रकार दिये जायें। इस सम्बन्ध में लेख है कि "राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना क्र. 9(15) राज-6/2005/पार्ट/43 दिनांक 29.08.2007 द्वारा नगरीय सीमा या पेराफेरी क्षेत्र में पेराफेरी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन किया गया है अतः नगरीय सीमा या पेराफेरी क्षेत्र में स्थित भूदान की भूमियों के सम्बन्ध में उक्त नियम 1970 के नियम 18 के संशोधन के अनुसार खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करावें। इस सम्बन्ध में उपनिवेशन विभाग द्वारा भी अधिसूचना क्र. 4(11)उप/96 दिनांक 18.01.2010 जारी की गई है अतः प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त दोनो अधिसूचनाओं में से जो भी लागू होती है उसके अनुसार भूदान भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करावे।"

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार:

"(1) (तहसीलदार) स्वप्रेरणा से आवंटन की तिथि से (तीन) वर्ष पश्चात् आवंटिती को खातेदारी अधिकार प्रदत्त करेगा, बशर्ते कि आवंटिती ने इस अवधि के दौरान आवंटन की शर्तों व निबंधनों का पालन किया हो।

(परन्तु व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेश में अस्थायी खेती पट्टाधारक या स्थायी आवंटिती के रूप में आवंटित की गयी थी और ऐसा क्षेत्र वाद में उपनिवेश क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया था, का दिनांक 01.01.2001 से पूर्व उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा।



A.
 जिला कलक्टर
 उदयपुर

(3) ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हे अधिसूचना क्रमांक एफ6(84)राजस्व/53 दिनांक 02.11.1953 के अन्तर्गत और उसके अनुसार, पट्टे के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया था और वे ऐसी भूमि पर लगातार काबिज हैं, तो वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे, मानो इन नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत पट्टेदार को वह भूमि आवंटित की गई थी।

(4) ऐसे समस्त व्यक्तियों ने जिन्हे भूमि 29.09.1999 के पूर्व आवंटित की गई थी, आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के 50 प्रतिशत पर और दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र पर खेती नहीं की है और उनका आवंटन रद्द नहीं किया गया है वे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पात्र होंगे। यदि वे पिछले तीन वर्षों से उक्त आवंटित भूमि पर खेती कर रहे हैं हों और आवंटन के अन्य निबन्धन और शर्तें पूरी करते हों।

परन्तु यदि ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की (90-क) में यथा उल्लिखित नगरीय क्षेत्र की नगरीय सीमाओं या उपान्त पट्टी के भीतर नहीं थी और तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या नगर निगम या नगर परिषद के नगरीय क्षेत्र को नगरीय सीमा या उपान्त पट्टी में सम्मिलित कर ली गई, खातेदारी अधिकार (कलक्टर) के पूर्व अनुमोदन से और जिला स्तरीय समिति द्वारा क्षेत्र के लिये यथा अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत का संदाय करने पर प्रदत्त किया जायेगा और भूमि तत्पश्चात नगरपालिका बोर्ड की अनुमोदन से और जिला स्तरीय समिति द्वारा क्षेत्र के लिये यथा अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत का संदाय करने पर प्रदत्त किया जायेगा।"

अतः स्पष्ट है कि आवंटन के 3वर्ष पश्चात आवंटन शर्तों की पालना होने पर ही आवंटनी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। नियम 18 में यह भी प्रावधान है कि नगरीय क्षेत्र में जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन उपरान्त ही बाजार मूल्य (डीएलसी) की 20 प्रतिशत/10 प्रतिशत (जो भी लागू हो) राशि जमा कराने के उपरान्त ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। परन्तु इस प्रकरण में न तो तीन वर्ष की शर्त का ध्यान रखा गया, न जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया, न किसी प्रकार की राशि जमा कराई गई। अतः स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण प्रचलित नियमों के विपरित होकर विधि विरुद्ध तरीके से खोला गया है।



भूदान बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शन 31.10.2023 में भी यह निर्देश दिये गये हैं कि "यदि राजस्व ग्राम सनवाड़ के भूदान होल्डरों का कोई विवाद/स्थगन तहसील स्तर पर नहीं हो तो नियमानुसार खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही करे।" परन्तु इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त भूमि की रिट याचिका 1096/2011 विचाराधीन थी एवं लम्बे समय से इस भूमि से सम्बन्धित वाद होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूदान बोर्ड द्वारा भी परिपत्र दिनांक 15.03.2010 के अनुसार ही नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं अतः दिनांक 04.12.2023 को खोला गया नामान्तरण भूदान बोर्ड के पत्र दिनांक 31.10.2023 के भी विपरित

31.
 जिला कलक्टर
 उदयपुर

होकर अवैध व गैर कानूनी है। भूदान बोर्ड के द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.10.2023 का कही भी यह अभिप्राय नहीं है कि बिना विधिक प्रक्रिया का पालन करके खातेदारी दी जावे।

4. मौजा सनवाड की हाल आराजी संख्या 3114 रकबा 4.06 बीघा भूमि से सम्बन्धित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1096/2011 अनवान नारायणसागर बनाम भूदान यज्ञ बोर्ड विचाराधीन था। रिट याचिका के विचाराधीन होते हुए रेस्पोंडेंट के पक्ष में आवंटन/वितरण की कार्यवाही की गई। स्वयं भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 05.01.2011 को जारी सूची में प्रश्नगत भूमि को विवादित माना है एवं खातेदारी अधिकार नहीं प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। भूदान यज्ञ बोर्ड पत्रांक 29 दिनांक 31.10.2023 द्वारा भी सनवाड के भूदान होल्डरों का कोई विवाद/स्थगन तहसील स्तर पर नहीं हो तो नियमानुसार खातेदारी दर्ज करने के निर्देश दिये गये।
5. भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटन भूमिहीन काश्तकारों को कृषि कार्य करने के लिये किया जाता है और कम से कम तीन वर्ष तक कृषि कार्य करने के पश्चात ही नियमानुसार वह व्यक्ति "खातेदारी अधिकार" के लिये पात्र बनता है परन्तु इस प्रकरण में आपसी मिलीभगत करके सीधा "खातेदारी" दे दी गयी और दिनांक 04.12.2023 का नामान्तरण खोल दिया गया। अगले ही दिन दिनांक 06.12.2023 को उक्त भूमि को जो कि एक "भूमिहीन काश्तकार" की हैसियत से आवंटन कराई गई थी, उसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया गया एवं संपरिवर्तन हेतु नगरपालिका में आवेदन कर दिया गया एवं नगरपालिका द्वारा इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करा दिया गया। इस न्यायालय का मत है कि उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु थी न कि भूमि के व्यापार करने के लिये। स्पष्ट है कि "उमी व्यक्तियों" के नाम पर आवंटन करवा कर इसका मूल उद्देश्य बाद में भू माफियाओं द्वारा क्रय कर बेचान करना था जो कि भूदान अधिनियम की मूल मंशा के पूर्ण रूप से विपरित है और इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार के आचरण/प्रक्रिया को हतोत्साहित करके जनहित का ध्यान रखा जावे। यह भी स्पष्ट है कि भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्र दिनांक 31.10.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार नामान्तरकरण एवं खातेदारी की कार्यवाही नहीं की गई है एवं नामान्तरकरण निरस्त योग्य होने से रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 उक्त भूमि का विक्रय करने के अधिकारी नहीं थे। गैर खातेदारी के रूप में आवंटन के सीमित अधिकार है और उसे बेचान करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनाधिकृत रूप से किया गया बेचान प्रारंभिक रूप से शून्य (void ab initio) है। आपसी मिलीभगत करके भूमि का अवैध बेचान किया गया है।



उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होकर शहर के बीचो बीच स्थित वेशकीमती भूमि है एवं कृषि योग्य भी नहीं है। इस प्रकरण की गंभीरता को यह तथ्य भी उजागर करता है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद गठित जांच कमेटी की

Handwritten signature and stamp of the District Court, Udaipur, Rajasthan.

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
 प्र.स. 02/24 राजस्व
 सरकार बनाम प.ह. सनवाड़
 GCMS No.: 2024/2

रिपोर्ट के बाद दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया व तीन कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गये। अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर मौजा सनवाड़ के आराजी संख्या 3114 क्षेत्रफल 0.6961 हे. भूमि, आराजी संख्या 3095 क्षेत्रफल 0.3076 हे. भूमि तथा आराजी संख्या 3096 क्षेत्रफल 0.1457 हे. भूमि पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 6545 दिनांक 04.12.2023 खारिज किया जाकर उपतहसीलदार सनवाड़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पुनः भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम दर्ज रिकार्ड करे।



निर्णय की प्रति उपतहसीलदार सनवाड़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।
 प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

A.A.
 (अरविन्द कुमार पोसवाल)
 जिला कलक्टर,
 उदयपुर